[2018] 14 एस.सी.आर.1143

म्युनिसिपल कारपोरेशन ऑफ़ ग्रेटर मुंबई और अन्य।

बनाम

प्रतिभा इंडस्ट्रीज लिमिटेड और अन्य।

(2018 की सिविल अपील संख्या 11822) 04 दिसंबर, 2018

[आर. एफ. नरीमन और एम. आर. शाह, जे.जे.)

उच्च न्यायालय - अपने आदेश को वापस लेने की शक्ति - अपीलकर्ता ने पानी के मीटरों की आपूर्ति, स्थापना और रखरखाव के लिए निविदा नोटिस जारी किया - निविदा नोटिस स्वीकार किया गया और पक्षकारों ने एक समझौता किया, जिसमें एक उपबंध (अनुबंध की सामान्य शर्तों का उपबंध 13) शामिल था, जिसमें कहा गया था कि "13.1 किसी मध्यस्थता की अनुमति नहीं थी" - प्रतिवादी ने मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की धारा 9 के तहत एक आवेदन अंतरिम निषेधाज्ञा हेतु दायर किया , जिसे स्वीकार किया गया - इसके बाद सुनवाई की अगली तारीख पर, दोनों पक्षों की सहमति से एक एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त किया गया - अपीलकर्ता द्वारा आदेश वापस लेने हेतु यह कहते हुए कि अपीलकर्ता-नगर निगम के संबंधित अधिकारी को मध्यस्थ की नियुक्ति के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार नहीं था, आवेदन दायर किया गया - उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने आदेश को वापस ले लिया और कहा कि अनुबंध की सामान्य शर्तों के उपबंध 13 और धारा 22 निविदा नोटिस, मध्यस्थता के उपबंध नहीं थे - उच्च न्यायालय की उपबंधपीठ ने एकल न्यायाधीश के आदेश को इस आधार पर रद्द कर दिया कि अधिनियम के भाग -1 में किसी भी न्यायालय के लिए अपने स्वयं के आदेश की समीक्षा करने का कोई प्रावधान नहीं था - अपील पर, कहा गया: उच्च न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 215 के तहत स्थापित रिकॉर्ड की अदालतें हैं - ये संवैधानिक न्यायालय, रिकॉर्ड की अदालतें होने के नाते, इनमें अपने स्वयं के आदेशों को वापस लेने का अधिकार इस तथ्य के आधार पर निहित है कि वे रिकॉर्ड के उच्च न्यायालय हैं - यदि उच्च न्यायालय द्वारा पारित किसी भी आदेश के संबंध में कोई स्पष्ट त्रुटि देखी जाती है तो उच्च न्यायालय के पास न केवल शक्ति है, बल्कि इसे ठीक करने का कर्तव्य है - उच्च न्यायालय की उपबंधपीठ के आक्षेपित निर्णय को रद्द कर दिया गया - भारत का संविधान - अनुच्छेद 215 - मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 - धारा 9.

नेशनल सिलाई थ्रेड कंपनी लिमिटेड बनाम जेम्स चैडविक एंड ब्रोस लिमिटेड [1953] एससीआर 1028;

शिवदेव सिंह और अन्य। v. पंजाब राज्य और अन्य एआईआर 1963 एससी 1909; एमएम। 1143 सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट [2018] 14 एस.सी.आर.

थॉमस बनाम केरल राज्य और अन्य (2000) 1 एससीसी 666: [2000] 1 एससीआर 33 - पर निर्भर।

केस लॉ रेफरेंस [1953] एससीआर 1028 पैरा 12 एआईआर 1963 एससी 1909 पर आधारित पैरा 13 [2000] 1 एससीआर 33 पैरा 14

सिविल अपीलीय अधिकारिता: 2018 की सिविल अपील संख्या 11822

2017 की वाणिज्यिक अपील संख्या 177 में बॉम्बे उच्च न्यायालय के दिनांक 07.02.2018 के निर्णय और आदेश से।

अधिवक्तागण रंजीत कुमार, ध्रुव मेहता, एस. नफाडे, वरिष्ठ अधिवक्ता, आशीष वाड, सुश्री प्रीति पुरमदरे, श्रीमती जयश्री वाड, सिद्धार्थ महाजन, सुश्री सुकृति जग्गी, मेसर्स जेएस वाड एंड कंपनी, सुश्री तमाना गोयल, चंद्र प्रकाश, मैसर्स डीएसके लीगल, विपिन कुमार जय, विपुल जय, सुश्री शैली दिनकर, संजय कपूर, राजीव कपूर, सुश्री खुशबू कपूर, सुश्री खुशबू कपूर, सी एम पटेल उपस्थित पक्षकारों की तरफ से।

न्यायालय का निर्णय

आर. एफ. नरीमन, जे. द्वारा दिया गया।

1. अनुमति दी गई।

2. वर्तमान अपील उच्च न्यायालय के अपने आदेशों को वापस लेने की शक्ति से संबंधित सवाल उठाती है।

3. दिनांक 19.09.2008 की निविदा सूचना द्वारा विभिन्न आकारों के जल मीटरों की आपूर्ति, संस्थापना और रख-रखाव के लिए आमंत्रण किया गया। निविदा सूचना में उपबंध 22 शामिल था, जो निम्नानुसार है-

न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र:

अनुबंध के संबंध में उत्पन्न किसी भी दावे, विवाद या अंतर के मामले में, उस पर कार्रवाई का कारण मुंबई में उत्पन्न माना जाएगा और ऐसे किसी भी दावे, विवाद या मतभेद के संबंध में सभी कानूनी कार्यवाही केवल मुंबई शहर में एक सक्षम अदालत में स्थापित की जाएगी।

यदि संविदा से उत्पन्न किसी भी मामले से संबंधित किसी भी पक्ष द्वारा कोई विवाद, मतभेद या दावा किया जाता है, तो पीड़ित पक्ष ऐसे विवाद को 7 (सात) दिनों की अवधि के भीतर ग्रेटर मुंबई नगर निगम के संबंधित उप नगर आयुक्त (डीएमसी) को प्रेषित करेगा, जो 3 (तीन) एमसीजीएम अधिकारियों यानी संबंधित डीएमसी या निदेशक (ईएस एंड पी), मुख्य अभियंता जो अनुबंध का अभियंता न हो और संबंधित सीए की एक समिति का गठन करेंगे, समिति 60 (साठ) दिनों के भीतर लिखित में निर्णय देगी।

समिति के आदेश से अपील 7 (सात) दिनों के भीतर ग्रेटर मुंबई नगर निगम के नगर आयुक्त (एमसी) को भेजी जा सकती है। इसके बाद, एम.सी. वित्त विभाग के प्रभारी डीएमसी सहित 3 (तीन) डीएमसी वाली समिति का गठन करेगा। इस समिति द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम होगा और पक्षकारों/निविदाकर्ताओं के लिए बाध्यकारी होगा।

4. हालांकि, जब निविदा नोटिस स्वीकार किया गया था और पार्टियों के बीच एक समझौता किया गया था, तो अनुबंध की सामान्य शर्तों का उपबंध 13 लागू किया गया था। इस उपबंध में कहा गया है- "विवाद और मध्यस्थता: 13.1 किसी भी मध्यस्थता की अनुमति नहीं है। 13.2 हाइड्रोलिक इंजीनियर और निविदाकर्ता के बीच उत्पन्न होने वाले विवादों या विचारों में मतभेद के मामले में, निविदाकर्ता हाइड्रोलिक इंजीनियर को अग्रिम प्रति के साथ ग्रेटर मुंबई के नगर आयुक्त को मामले को भेज सकता है और ऐसे मामले में आयुक्त का निर्णय अंतिम होगा।

5. मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (संक्षेप में 'अधिनियम') की धारा 9 के तहत प्रतिवादी द्वारा बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष एक आवेदन दायर किया गया था, जिसमें निविदा के अनुसरण में प्रतिवादी द्वारा दी गई पहली और तीसरी बैंक गारंटी के नकदीकरण पर अंतरिम रोक लगाने की मांग की गई थी, जो क्रमशः16,23,400 रुपये (सोलह लाख तेईस हजार और चार सौ रुपये मात्र) और 6,23,00,000/- रुपये (छह करोड़ रुपये, तेईस लाख रुपये मात्र) की राशि थी। 23.06.2017 को, इस याचिका को स्वीकार कर लिया गया और जिस निषेधाज्ञा के लिए प्रार्थना की गई थी, उसे मंजूर कर लिया गया। सुनवाई की अगली तारीख यानी 27.06.2017 को न्यायमूर्ति के. आर. श्रीराम ने जो कुछ हुआ उसे इस प्रकार दर्ज किया: “1.याचिकाकर्ताओं के वकील श्री मखीजा ने निर्देश पर कहा कि याचिकाकर्ता मध्यस्थता के लिए जाने के लिए तैयार और इच्छुक हैं और सुझाव देते हैं कि श्री न्यायमूर्ति वीएम कनाडे (सेवानिवृत्त) को एकमात्र मद्यस्थ के रूप में नियुक्त किया जाए। प्रतिवादी (एमसीजीएम) के वरिष्ठ वकील श्री भरूचा ने अदालत में मौजूद प्रतिवादी के सहायक अभियंता (मीटर वर्क शॉप) शहर-प्रतिनिधि श्री आगाशे के निर्देश पर कहा कि प्रतिवादियों को श्री मखीजा द्वारा दिए गए सुझाव पर कोई आपत्ति नहीं है और श्री न्यायमूर्ति वीएम कनाडे (सेवानिवृत्त) को एकमात्र मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किया जाए।

2. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, श्री न्यायमूर्ति वीएम कनाडे (सेवानिवृत्त) को एएमआर की आपूर्ति स्थापना और रख रखाव के लिए प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा जारी शुद्धिपत्र के साथ 19.09.2008 की निविदा से उत्पन्न या उसके संबंध में या उसके संदर्भ में पक्षकारों के बीच सभी मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए एकमात्र मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किया जाता है।मुंबई के शहरी क्षेत्र में विभिन्न आकारों के पानी के मीटर जिसमें वार्ड ए, बी, सी, डी, ई, एफ / उत्तर, एफ / दक्षिण, जी / उत्तर और जी / दक्षिण (परियोजना) शामिल हैं”

6. अपीलकर्ता द्वारा 03.07.2017 को हमारे समक्ष एक प्रस्ताव की सूचना दायर की गई थी, जिसमें न्यायमूर्ति वीएम कनाडे (सेवानिवृत्त) को एकमात्र मध्यस्थ के रूप में नियुक्त करने के उपरोक्त आदेश को वापस लेने की मांग की गई थी। उसमें यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि:-

- " मैं कहता हूँ कि संबंधित अधिकारी श्री ए.एम.आगाशे-सहायक। इंजीनियर (मीटर वर्कशॉप) (शहर), जो अदालत में उपस्थित थे, को पता नहीं था कि अनुबंध में कोई मध्यस्थता उपबंध नहीं है जो निम्नानुसार है:

“17. विवाद और मध्यस्थता:

13.1 किसी भी मध्यस्थता की अनुमति नहीं है।

13.2 हाइड्रोलिक इंजीनियर और निविदाकर्ता के बीच उत्पन्न होने वाले विवादों या विचारों में मतभेद के मामले में, निविदाकर्ता हाइड्रोलिक इंजीनियर को अग्रिम प्रति के साथ ग्रेटर मुंबई के नगर आयुक्त को मामले को भेज सकता है और ऐसे मामले में आयुक्त का निर्णय अंतिम होगा”।

मैं कहता हूं कि श्री ए एम आगाशे-सहायक इंजीनियर (मीटर वर्कशॉप) (शहर) को उपरोक्त याचिका में मध्यस्थ की नियुक्ति के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार नहीं है”।

7. दिनांक 12.09.2017 के एक आदेश द्वारा, विद्वान एकल न्यायाधीश ने रिकॉल आवेदन और आयुक्त के हलफनामे का उल्लेख किया, और अनुबंध की सामान्य शर्तों के उपबंध 13 और निविदा नोटिस के उपबंध 22 का भी उल्लेख किया और कहा कि वे मध्यस्थता उपबंध नहीं थे, बल्कि आंतरिक कार्यवाही थे, जो पीड़ित पक्ष के इशारे पर किए जा सकते थे। ऐसा होने पर, ग्रेटर मुंबई के विद्वान एकल न्यायाधीश न्यायमूर्ति वीएम कनाडे (सेवानिवृत्त) को एकमात्र मध्यस्थ के रूप में नियुक्त करने के आदेश को वापस ले लिया गया। प्रतिवादी द्वारा अधिनियम की धारा 37 के तहत एक अपील दायर की गई थी, जो खण्ड पीठ के समक्ष सफल रही। खण्ड पीठ के अनुसार, चूंकि अधिनियम की धारा 5 में उपबंधित है कि अधिनियम के भाग 1 के लिए कोई न्यायिक हस्तक्षेप प्रदान नहीं किया गया है और चूंकि किसी भी अदालत के लिए अपने आदेश की समीक्षा करने के लिए भाग 1 में कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए दायर समीक्षा याचिका ग्राह्य नहीं थी। इसलिए प्रश्नगत आदेश को रद्द किया जाना चाहिए। धारा 37 के तहत प्रतिवादी द्वारा दायर अपील को स्वीकार कर लिया गया।

8. अपीलकर्ता के वरिष्ठ वकील श्री रंजीत कुमार ने हमारे समक्ष तर्क दिया है कि यह स्पष्ट है कि उपबंध 13 और उपबंध 22 के अवलोकन पर, कोई मध्यस्थता प्रदान नहीं की गई है और ये केवल आंतरिक प्रक्रियाएं हैं। उन्होंने आगे कहा कि रिकॉर्ड की अदालत होने के नाते उच्च न्यायालय में अपने आदेशों को वापस लेना हमेशा अंतर्निहित होता है, और उन्होंने उच्च न्यायालय (ओरिजिनल साइड) नियमों के साथ कुछ फैसलों का हवाला दिया है। उनके अनुसार, धारा 37 के तहत अपील ही सुनवाई योग्य नहीं थी और इन सभी कारणों से, आक्षेपित आदेश को रद्द कर दिया जाना चाहिए।

9. दूसरी ओर, श्री शेखर नफाडे, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रतिवादी की ओर से तर्क दिया, जिसमें कहा गया कि मध्यस्थता अधिनियम एक स्व-निहित संहिता है, और, ऐसा होने के नाते, समीक्षा शक्ति खोजने के लिए अधिनियम के चार कोनों के बाहर देखना संभव नहीं है। यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 215 पर भी लागू हो

सकता है। उन्होंने तर्क दिया कि उपबंध 13 और उपबंध 22 स्पष्ट रूप से मध्यस्थता उपबंध हैं क्योंकि एक विवाद को निर्णय के लिए एक समिति और उसके बाद एक अपीलीय समिति को भेजा जाना है, जिसके बाद, अपीलीय समिति द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम और बाध्यकारी है। श्री नफाडे के अनुसार, सही तरीका केवल अधिनियम की धारा 16 के तहत न्यायमूर्ति वीएम कनाडे (सेवानिवृत्त) पर लागू करना हो सकता था कि मध्यस्थता उपबंध मौजूद है या नहीं। उन्होंने कहा कि चूंकि सिविल प्रक्रिया संहिता (संक्षेप में 'संहिता') लागू नहीं होगी, इसलिए, संहिता की धारा 151 में निहित अंतर्निहित शक्ति का इस्तेमाल करने कोई सवाल ही नहीं है।

10. श्री नाफडे ने जिन उपबंधों को मध्यस्थता उपबंध के रूप में संदर्भित किया है, उन्हें प्रथम दृष्टया ऐसा नहीं माना जा सकता है। उपबंध 13.1 में स्पष्ट रूप से कहा गया है, "किसी मध्यस्थता की अनुमति नहीं है"। इसलिए उप-उपबंध 13.2 को मध्यस्थता उपबंध के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता है। इसके अलावा, इस धारणा पर कि उपबंध 22 लागू होगा, यह स्पष्ट है कि उक्त उपबंध के हाशिये पर टिप्पणी है जिसमें लिखा है: न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र। उपबंध 22 का पहला पैराग्राफ विशेष रूप से मुंबई शहर में सक्षम अदालतों से संबंधित है जिन्हें अनुबंध के संबंध में उत्पन्न दावों, विवादों आदि के संबंध में अनन्य शेत्रधिकार है। श्री नाफडे के अनुसार दूसरा पैराग्राफ और तीसरा पैराग्राफ, एक मध्यस्थता उपबंध के समान होगा क्योंकि इसमें उल्लिखित समिति को एक निर्णय देना है, जिसके विरुद्ध एक अन्य समिति के समक्ष फिर से अपील की जाती है जो एक निर्णय देती है जो अंतिम और दोनों पक्षों के लिए बाध्यकारी होगी। हमारा विचार है कि उपबंध 22 उन विवादों से संबंधित है जो समझौते के तहत उत्पन्न हो सकते हैं, जिन्हें या तो आंतरिक प्रक्रिया द्वारा या अदालतों द्वारा निपटाया जा सकता है, जैसा भी मामला हो। किसी भी तरह से इस आंतरिक प्रक्रिया को पक्षकारों के बीच मध्यस्थता के लिए एक समझौता नहीं कहा जा सकता है। बहर हाल इस मामले में महत्वपूर्ण बात यह है कि इनमें से किसी भी उपबंध को लागू नहीं किया गया है। न्यायालय के दिनांक 27.06.2017 के आदेश से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि न्यायमूर्ति कनाडे को एकमात्र मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किया गया था, सहायक अभियंता श्री आगाशे को धन्यवाद, जिन्हें इस पर कोई आपत्ति नहीं थी। जैसा कि रिकॉल आवेदन और आयुक्त के हलफनामे में कहा गया है, श्री आगाशे को मध्यस्थ की नियुक्ति के संबंध में कोई निर्णय लेने का अधिकार नहीं था। न्यायालय के समक्ष यह निर्विवाद स्थिति होने के नाते, यह स्पष्ट है कि उपबंध 13 और उपबंध 22 के तहत पक्षकारों के बीच मौखिक समझौता नहीं किया जा सकता था। हमें खुद को यह भी याद दिलाना चाहिए कि यह समझौता धारा 9 की याचिका की सुनवाई के दौरान हुआ था। वर्तमान मामले में, किसी ने भी धारा 13 या उपबंध 22 के अनुसार मध्यस्थ नियुक्त करने के लिए धारा 11 के तहत आवेदन नहीं किया है।

11. जहां तक उच्च न्यायालयों के अपने स्वयं के आदेश को वापस लेने के अधिकार क्षेत्र का संबंध है, उच्च न्यायालय रिकॉर्ड के न्यायालय हैं, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 215 के तहत स्थापित किए गए हैं। भारत के संविधान का अनुच्छेद 215 निम्नानुसार है:

"अनुच्छेद 215. प्रत्येक उच्च न्यायालय रिकॉर्ड का न्यायालय होगा और उसके पास ऐसी अदालत की सभी शक्तियां होंगी, जिसमें स्वयं की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति भी शामिल होगी"।

यह स्पष्ट है कि ये संवैधानिक अदालतें, रिकॉर्ड की अदालतें होने के नाते, अपने स्वयं के आदेशों को वापस लेने का अधिकार इस तथ्य के आधार पर अंतर्निहित हैं कि वे रिकॉर्ड की उच्च अदालतें हैं। हमारे कई निर्णयों में इसे स्वीकार किया गया है।

12. नेशनल सीविंग थ्रेड कंपनी लिमिटेड बनाम जेम्स चैडविक ब्रदर्स लिमिटेड, 1953 एससीआर 1028 के मामले में इस न्यायालय ने निम्नानुसार निर्णय दिया है:- ट्रेड मार्क अधिनियम उच्च न्यायालय में उस अपील के भविष्य के संचालन या प्रगति के लिए कोई प्रक्रिया प्रदान नहीं करता है या निर्धारित नहीं करता है, वास्तव में अधिनियम की धारा 77 में प्रावधान है कि उच्च न्यायालय यदि चाहे तो इस मामले में नियम बना सकता है। स्पष्ट रूप से उच्च न्यायालय में अपील पहुंचने के बाद इसे उस न्यायालय के व्यवहार और प्रक्रिया के नियमों के अनुसार और चार्टर के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए जिसके तहत उस न्यायालय का गठन किया गया है और जो उस अधिकार क्षेत्र का उपयोग करने की विधि और तरीके के संबंध में उसे शक्ति प्रदान करता है। नियम अच्छी तरह से तय है कि जब कोई क़ानून निर्देश देता है कि अपील पहले से स्थापित न्यायालय में होगी, तो उस अपील को उस न्यायालय के प्रथा और प्रक्रिया द्वारा विनियमित किया जाना चाहिए। इस नियम को नेशनल टेलीफोन कंपनी लिमिटेड बनाम पोस्टमास्टर-जनरल, [1913] ए.सी. 546 में विस्काउंट हाल्डेन एल.सी. द्वारा बहुत संक्षेप में इन शब्दों में कहा गया है : "जब किसी प्रश्न को बिना किसी और के किसी स्थापित न्यायालय को भेजे जाने के लिए कहा जाता है, तो मेरी राय में, यह उस न्यायालय की प्रक्रिया की सामान्य घटनाओं को संलग्न करने का अर्थ है, और यह भी कि उसके निर्णय से अपील का कोई भी सामान्य अधिकार भी जुड़ा हुआ है"। यही विचार प्रिवी काउंसिल के लॉर्डशिप ने आर.एम.ए.आर.ए. अदैकप्पा चेट्टियार बनाम रा. चंद्रशेखर थेवर, (1947) 74 1.ए. 264 में व्यक्त किया था, जिसमें यह कहा गया था: "जहां एक कानूनी अधिकार विवाद में है और देश के सामान्य न्यायालय इस तरह के विवाद से घिरे हुए हैं, अदालतें प्रक्रिया के सामान्य नियमों द्वारा शासित होती हैं जो उस पर लागू होता है और अपील ऐसे नियमों द्वारा अधिकृत होने पर संधारणीय होती है, भले ही दावा किया गया कानूनी अधिकार एक विशेष क़ानून के तहत उत्पन्न होता है, जो अपील का अधिकार प्रदान नहीं करता है। मद्रास वन अधिनियम के तहत मामले का निपटारा करते समय सेक्रेटरी ऑफ़ स्टेट फॉर इंडिया बनाम चेलिकानी रामा राव, (1916) एलएलआर 39 मैड 617 में लॉर्डशिप ने निम्नानुसार टिप्पणी की: –

"अपीलकर्ता की ओर से यह तर्क दिया गया था कि भारत में अदालतों में या अपील के माध्यम से आगे की सभी कार्यवाही अक्षम थी, इन्हें अभी उद्धृत कानून की शर्तों से बाहर रखा गया है। लॉर्डशिप की राय में यह आपत्ति अच्छी तरह से स्थापित नहीं है। उनका विचार है कि जब इस प्रकृति की कार्यवाही जिला न्यायालय तक पहुंचती है, तो उस न्यायालय को देश के सामान्य न्यायालयों में से एक के रूप में अपील की जाती है, जिसकी प्रक्रिया, आदेश और डिक्री के संबंध में सिविल प्रक्रिया संहिता के सामान्य नियम लागू होते हैं"।

यद्यपि उपरोक्त नियम निर्धारित करने वाले मामलों के तथ्य वर्तमान मामले के तथ्यों के समान नहीं थे, लेकिन इसमें उल्लिखित सिद्धांत सामान्य अनुप्रयोग में से एक है और वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के लिए एक उपयुक्त प्रयोज्ता है। ट्रेड मार्क्स अधिनियम की धारा 76 उच्च न्यायालय में अपील करने का अधिकार प्रदान करती है और इसके बारे में और कुछ नहीं कहती है। ऐसा होने के कारण, उच्च न्यायालय धारा 76 द्वारा

प्रदत्त अपीलीय क्षेत्राधिकार के रूप में होती है, इसलिए उसे उस अधिकार क्षेत्र का उपयोग उसी तरह से करना होता है जैसे वह अपने अन्य अपीलीय अधिकार क्षेत्र का उपयोग करता है और जब इस तरह के अधिकार क्षेत्र का उपयोग एकल न्यायाधीश द्वारा किया जाता है, तो उसका निर्णय लेटर्स पेटेंट के उपबंध 15 के तहत अपील के अधीन हो जाता है, जिसके बारे में ट्रेड मार्क अधिनियम में कुछ भी विपरीत नहीं है"।

13. इसी तरह का हमारा निर्णय शिवदेव सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य, एआईआर 1963 एससी 1909 है, जिसमें इस न्यायालय ने निम्नानुसार कहा है:

"10..... यह कहना पर्याप्त है कि संविधान के अनुच्छेद 226 में ऐसा कुछ भी नहीं है जो उच्च न्यायालय को समीक्षा की शक्ति का उपयोग करने से रोकता है जो घोर न्याय को रोकने या उसके द्वारा की गई गंभीर और स्पष्ट त्रुटियों को ठीक करने के लिए पूर्ण अधिकार क्षेत्र के प्रत्येक न्यायालय में निहित है"।

इसके अलावा, एम.एम. थॉमस वीवाई. बनाम केरल राज्य और अन्य, (2000) 1 एससीसी 666, में भी इस न्यायालय ने निम्नानुसार निर्णय दिया है-

"14. संविधान के अनुच्छेद 215 में परिकल्पित रिकॉर्ड की अदालत के रूप में उच्च न्यायालय के पास रिकॉर्ड को सही करने के लिए अंतर्निहित शक्तियां होनी चाहिए। रिकॉर्ड की एक अदालत ऐसी सभी शक्तियों को समाहित करती है जिनके कृत्यों और कार्यवाही को एक सतत स्मृति और साक्ष्य में नामांकित किया जाना है। रिकॉर्ड की अदालत निस्संदेह एक उच्च न्यायालय है जो अपने अधिकार क्षेत्र के दायरे को निर्धारित करने के लिए स्वयं सक्षम है। रिकॉर्ड की अदालत के रूप में, उच्च न्यायालय का अपने सभी रिकॉर्ड को सही ढंग से और कानून के अनुसार रखने का कर्तव्य है। इसलिए, यदि उच्च न्यायालय द्वारा पारित किसी भी आदेश के संबंध में कोई स्पष्ट त्रुटि देखी जाती है, तो उच्च न्यायालय के पास न केवल शक्ति है, बल्कि इसे ठीक करने का कर्तव्य भी है। इस संबंध में उच्च न्यायालय की शक्ति पूर्ण है। नरेश श्रीधर मिराजकर और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य, एआईआर 1967 एससी 1: [1966] 3 एससीआर 744, में इस न्यायालय की नौ न्यायाधीशों की पीठ ने उच्च न्यायालय की उपरोक्त श्रेष्ठ स्थिति को पूर्ण अधिकार क्षेत्र की अदालत के रूप में मान्यता दी है।

15. जहां तक श्री नफाडे का यह तर्क है कि यह अधिनियम एक स्व-निहित संहिता है, जिसकी धारा 5 समीक्षा या रिकॉल आवेदन को प्रतिबंधित करती है, यह कहने के लिए पर्याप्त है कि 27.06.2017 के आदेश के अनुसरण में कोई मध्यस्थता समझौता नहीं है, अधिनियम लागू नहीं होगा।

16. ऐसी स्थिति में , उच्च न्यायालय की खण्डपीठ के आक्षेपित निर्णय को रद्द किया जाता है। श्री नाफडे द्वारा दिनांक 23.06.2017 के आदेश को आज से चार सप्ताह की अवधि के लिए जारी रखने का आग्रह किया गया है ताकि वे उचित मंच पर जा सकें। आज से चार सप्ताह की अवधि के लिए उक्त आदेश जारी रखते हैं। तदनुसार अपील का निस्तारण किया जाता है। अपील निस्तारित।

Digitally signed by Rakesh Tripathi
Date: 2023.10.30 12:17:02 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court